

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2014

विषय:- माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में उल्लिखित परीक्षा संस्थाओं की समकक्षता के संबंध में परिषद विनियमों के अध्याय-बारह तथा अध्याय-चौदह में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, 30प्र० इलाहाबाद के पत्रांक-परिषद-9/592, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में उल्लिखित परीक्षा संस्थाओं की समकक्षता के संबंध में विनियम में संशोधन किये जाने का अनुरोध अधिनियम की धारा-16(2) के अन्तर्गत किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद विनियमों के अध्याय-बारह के विनियम-17(7) एवं अध्याय-चौदह के विनियम-2 में प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को एतद्वारा श्री राज्यपाल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16(2) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विनियम संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

3- उक्त के संबंध में तदुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करते हुये माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

स्वीकृत
माध्यमिक

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

03/03/14

पू० संख्या-1813(1)/15-7-2013. तद्विनांक

कृत शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश शासन प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद 30प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

श्री कीर्ति
ए. कायापति मुख
34444 34444

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय-बारह तथा चौदह में
संशोधन
अध्याय-बारह

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
विनियम-17(7)	विनियम-17(7)
निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है:- (क) विश्वविद्यालयों तथा भारत में विधिवत् स्थापित शिक्षा परिषदों की इण्टरमीडिएट परीक्षा। (ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा वर्ष-2001 तक संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। वर्ष-2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। (ग) एम0एस0विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा संचालित एफ0 वाई0बी0ए0, एफ0वाई0बी0काम0 तथा एफ0वाई0बी0 एस0-सी0 परीक्षायें। (घ) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विषय के साथ उत्तीर्ण प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल परीक्षा। (ङ) काउन्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन स्कूल, सर्टीफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा। (च) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक अथवा अनुरूप परीक्षा, यह अनुरूपता, छात्र द्वारा उस विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के लिए आवश्यक बाद के अध्ययन के वर्षों की संख्या से अवधारित होगी। (छ) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम की प्री-डिग्री साहित्यिक तथा वैज्ञानिक वर्ग की परीक्षा। (ज) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के परीक्षाओं को उनके समकक्ष अंकित विवरण के अनुसार- (1) प्री-मेडिकल परीक्षा-विज्ञान समूह जीव विज्ञान के साथ।	निम्नलिखित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है:- 1- बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश) 2- असम हायर सेकेण्डरी एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी। 3- गर्वमेन्ट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेन्ट ऑफ प्री-यूनीवर्सिटी एजुकेशन, बंगलोर। 4- काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा 5- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल। 6- गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर। 7- केरला बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन, तिरुवनन्तपुरम। 8- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे। 9- काउन्सिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन मणिपुर, इम्फाल। 10- वेस्ट बंगाल काउन्सिल आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता। 11- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। 12- उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।

(2) प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा-विज्ञान एवं गणित समूह के साथ।	13- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
(3) बी०ए०/बी०एस०-सी,बी०काम० भाग-1	14- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
परीक्षा क्रमशः साहित्यिक वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के समकक्ष।	15- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, रायपुर।
(झ) सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।	16- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।
(ज) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मणिपुर इम्फाल द्वारा संचालित स्पेशल हायर सेकेण्डरी (बारह वर्षीय) पाठ्यक्रम परीक्षा।	17- दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग आगरा।
(ट) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अगरतला द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी (बारह वर्षीय) परीक्षा।	18- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, गोवा।
(ठ) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पांच विषयों में उत्तीर्ण की गयी हों।	19- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी। 20- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ा। 21- जे०एण्ड के० स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
(ड) रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।	22- झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची।
	23- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
	24- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
	25- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐजाल।
	26- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
	27- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
	28- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
	29- स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एग्जामिनेशन (सेकेण्डरी) एवं बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन तमिलनाडु।
	30- त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन अगरतला।

	31- राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पाँच विषयों में उत्तीर्ण की गई हो। 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएँ जिनके संबंध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन का समाधान हो गया है, परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
--	---

अध्याय-चौदह

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
विनियम-2	विनियम-2
निम्नलिखित परीक्षाएं इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है:- (1) भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा, जो परिषद द्वारा इस उद्देश्य से मान्य है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्य हैं- इलाहाबाद, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, बनारस और अलीगढ़। प्रतिबन्ध यह है कि बम्बई विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत	निम्नलिखित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है:- 1- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश) 2- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन गुवाहाटी, असम। 3- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना। 4- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली। 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, रायपुर।

अंकों से अथवा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। ज्ञातव्य- बनारस हिन्दू तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा का तात्पर्य प्रथम की प्रवेश परीक्षा तथा द्वितीय की हाईस्कूल परीक्षा से है। (2) उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा उस राज्य में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिक्यूलेशन के समकक्ष स्वीकार की जाती है। (3) कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट(जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी) परीक्षाएं। (4) चीफ कालेजों का डिप्लोमा। (5) मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में यूरोपियन स्कूलों की हाईस्कूल परीक्षा। (6) मध्य प्रदेश की हाईस्कूल शिक्षा परिषद की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा। (7) हाईस्कूल फाइनल तथा मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा परिषद, बर्मा द्वारा संचालित हाईस्कूल फाइनल तथा मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा, जो पहले बर्मा ऐंग्लो वर्नाक्यूलर हाईस्कूल तथा इंगलिश हाईस्कूल परीक्षा कहलाती थी। ज्ञातव्य-उन भारतीय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो बर्मा से निष्क्रान्त हैं, रंगून विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा में बर्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों, जिन्होंने अलग-अलग विषयों में न्यूनतम अंक तथा बर्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों में योगांक प्राप्त किए हैं-इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के पात्र समझे जाते हैं। (8) लन्दन विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा। (9) द्राबनकोर राज्य की इंगलिश स्कूल लीविंग परीक्षा।	6- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली। 7- दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा। 8- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, गोवा। 9- गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर गुजरात। 10- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी। 11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा। 12- जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू। 13- झारखण्ड एकेण्डमी काउन्सिल, राँची। 14- कर्नाटका सेकेण्डरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर। 15- केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, तिरुवनन्तपुरम। 16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे। 17- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल। 18- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल। 19- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय। 20- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐजाल। 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा। 22- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक। 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
--	--

(10) हैदराबाद(दक्खिन) की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है।

(11) मैसूर का सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है।

(12) राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून(जो पहले सैनिक स्कूल, देहरादून तथा मौलिक रूप से रायल इंडियन मिलिटरी कालेज कहलाता था) की डिप्लोमा परीक्षा।

(13) माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा ऐसे पाँच विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत है।

टिप्पणी-दिल्ली परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के निम्नलिखित विषय उत्तर प्रदेश की समान परीक्षा के लिए स्वीकृत विषय समझे जाने चाहिए:-

(क) शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान।

(ख) दो स्वीकृत विषयों के संघटित अंगों से युक्त विषय जैसे प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र तथा प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक अर्थशास्त्र तथा भारतीय इतिहास इत्यादि।

(उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 1937 ई० तक दिल्ली परिषद की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, पाँच स्वीकृत विषयों की गणना उस समय लागू नियमों के आधार पर की जानी चाहिए।)

(14) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अजमेर [जो पहले बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना (जिसमें अजमेर, मारवाड़ भी सम्मिलित थे), मध्य भारत और ग्वालियर, अजमेर कहलाता था तथा बाद में जिसका नाम बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन, अजमेर, भोपाल और विन्ध्य प्रदेश, अजमेर रखा गया] की हाईस्कूल परीक्षा।

24- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर।

25- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन, तमिलनाडु।

26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अगरतला।

27- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता।

28- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।

29- 30प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी।

30- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, 30प्र० द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।

31- राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रिकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएँ जिसके संबंध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

(15) भारतीय नौ सेना का हायर एजुकेशन टेस्ट, जो पहले इंडियन मर्केन्टाइल मेरीन ट्रेनिंग शिप "डफरिन" का डफरिन फाइनल पासिंग आउट इक्जामिनेशन अधिशासी अथवा अभियंत्रण कैडेटों के लिए कहलाता था।

(16) कोचिन राज्य की सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सर्टीफिकेट प्राप्त कर्ता मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम का पात्र घोषित हुआ है।

(17) नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैन्ड की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(18) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्खिन) की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है।

(19) बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट ऐन्ड सेकेन्डरी एजुकेशन, ढाका की हाईस्कूल परीक्षा।

(20) नेपाल शासन द्वारा संचालित स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

(21) मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, शेफील्ड तथा बरमिंघम विश्वविद्यालय के संयुक्त बोर्ड की स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा अंग्रेजी, गणित, इतिहास अथवा भूगोल तथा दो अन्य विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत है।

(22) संयुक्त मैट्रिक्यूलेशन बोर्ड, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(23) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, हैदराबाद की हायर सेकेन्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी एक प्रयत्न में उत्तीर्ण हुआ है और उसने परीक्षा में सम्पूर्ण योगांक के कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं तथा वह उस्मानिया विश्वविद्यालय की पूर्व विश्वविद्यालय कक्षा में प्रवेश का पात्र है।

(24) उत्कल विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(25) प्रमुख एअर क्रैफ्टसमैन के लिये पुनवर्गीकरण हेतु आईओएफओ एजुकेशन टेस्ट।

(26) भारतीय सेना का स्पेशल सर्टीफिकेट आफ एजुकेशन।

(27) सन् 1946 ई० से मई 1964 ई० तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ संचालित विद्याविनोदनी (मैट्रिक्यूलेशन) परीक्षा, इस प्रतिबन्ध में साथ कि वह एडवांस अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की गई हो तथा पूर्ण परीक्षा एक साथ अथवा एक दूसरे वर्षों के बीच (दो से अधिक खंडों में नहीं) उत्तीर्ण की गई हो।

पुनश्च- प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(28) लंका की सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, जिसका बाद में नाम जनरल सर्टीफिकेट आफ एजुकेशन (आर्डिनरी लेवल) परीक्षा, लंका रखा गया है।

(29) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)

(30) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अंग्रेजी के साथ अधिकारी परीक्षा, जो एक से अधिक वर्ष में खंडों में उत्तीर्ण न की गई हो।

टिप्पणी-इस विनियम में प्रयुक्त शब्द खण्डों से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है।

(31) सन् 1946 से मई, 1964 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदनी (मैट्रिक्यूलेशन) परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विनियमों के अध्याय-तेरह के पुराने विनियम-7 के अन्तर्गत केवल अंग्रेजी में हाईस्कूल परीक्षा (जैसा कि 1955 की विवरण पत्रिका में दिया है)

पुनश्च-प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(32) माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा (जो पहले हाईस्कूल परीक्षा कहलाती थी और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संचालित होती थी)

(33) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है।

टिप्पणी-इस विनियम में प्रयुक्त शब्द (खण्डों) से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है।

(34) जामिया-मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है।

(35) पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(36) गौहाटी विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(37) पूना, महाराष्ट्र राज्य के सेकेन्डरी स्कूल, सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित (जो पहले बम्बई के सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित होती थी) सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।

(38) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी प्राविधिक परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)

(39) जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(40) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन मध्य भारत (ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा)

(41) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन परीक्षार्थियों के लिये, जिन्होंने मैट्रिक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमिशन अथवा क्वालीफाइंग परीक्षा।

(42) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित) पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा, वर्ष 2001 तक। वर्ष 2002 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा

संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।

(43) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित स्कूल फाइनल परीक्षा।

(44) आन्ध्र विश्वविद्यालय की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(45) बिहार स्कूल इक्जामिनेशन बोर्ड, पटना द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा।

(46) विश्वभारती विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(47) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, उड़ीसा द्वारा संचालित हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।

(48) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (जो पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित) पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा।

(49) मध्य प्रदेश, जबलपुर के महाकौशल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन द्वारा संचालित सर्टीफिकेट परीक्षा।

(50) विदर्भ नागपुर के बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।

(51) समाज सेवा विनियम के अन्तर्गत पंजाब विश्वविद्यालय सोलन द्वारा निर्गत मैट्रिक्यूलेशन सर्टीफिकेट।

(52) पांडिचेरी शासन की निम्नलिखित फ्रेंच परीक्षाएँ-

(क) ब्रेवेट एलिमेटर(फ्रेंच)।

(ख) ब्रेवेट दि एट यूइस डलर साइकिल(फ्रेंच)।

(ग) ब्रेवेट दि एन्साइनमेन्ट प्राइमरी सुपीरियर दि लैंग्वे इंडियन (तामिल)।

(घ) दि ब्रेवेट दि लैंग्वेइंडियन(तेलगू मलयालम)।

(53) केरल राज्य, त्रिवेन्द्रम के बोर्ड आफ पब्लिक

इक्जामिनेशन द्वारा संचालित एस0एस0एल0सी0 परीक्षा।

(54) बंगलादेश सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड, ढाका (बंगलादेश) की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(55) बड़ौदा के गुजरात सेकेन्डरी स्कूल, सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।

(56) सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजुकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।

(57) काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा संचालित विशारद परीक्षा।

(58) सिन्ध विश्वविद्यालय, पाकिस्तान की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(59) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय, अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद की हायर सेकेन्डरी प्रथम भाग अथवा अन्य अनुरूप परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसकी परीक्षाएँ परिषद द्वारा मान्य हैं तथा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी0ए0 परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्ष की संख्या से अवधारित होगी।

(60) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित सेकेन्डरी टेक्निकल परीक्षा।

(61) काउन्सिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित पांच विषयों के साथ एक बार में उत्तीर्ण इंडियन सर्टीफिकेट आफ सेकेन्डरी एजुकेशन एक्जामिनेशन (स्टैन्डर्ड टेन्थ एक्जामिनेशन)।

(62) पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, चण्डीगढ़ की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा।

(63) बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, नागालैन्ड की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

(64) बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, हरियाण, चण्डीगढ़ की मैट्रिक्यूलेशन, हायर सेकेन्डरी, भाग-एक तथा दो परीक्षा।

(65) हिमांचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (शिमला) द्वारा संचालित मैट्रिक्यूलेशन हायर सेकेन्डरी, भाग-एक तथा दो परीक्षा।

(66) गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर सहारनपुर की "विद्यारत्न परीक्षा"।

(67) पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, चण्डीगढ़ द्वारा संचालित हायर सेकेन्डरी परीक्षा कक्षा-11।

(68) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मणीपुर, इम्फाल द्वारा संचालित हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

(69) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, अगरतल्ला की क्रमशः माध्यमिक स्कूल फाइनल परीक्षा तथा हायर सेकेन्डरी परीक्षा (कक्षा-11)।

(70) राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेन्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गयी हों।

(71) रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा अरबी और मुन्शी परीक्षा फारसी।

नोट:- उक्त के अतिरिक्त नई परीक्षा संस्थाओं के संबंध में समाधान होते ही सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उन्हें सम्मिलित करने हेतु नियमावली में संशोधन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने एवं तदोपरान्त विभागीय वेबसाइट पर उन्हें प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रत्येक दो वर्षों में संस्थाओं का पुनर्परीक्षण कर नियमावली संशोधित कर इन संस्थाओं के संबंध में अद्यावधिक करायी जायेगी। नियमावली में संशोधनों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन का समाधान पर्याप्त होगा।

Ram
(राजेन्द्र सिंह) 23/03/19

अनु सचिव।